1/70

(1)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग।

संचिका संख्या– SIPB2303000246

प्रेस नोट

मेसर्स ईस्टर्न एग्रो केमिकल्स लिमिटेड, गलगलिया चेक पोस्ट, ठाकुरगंज, किशनगंज को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में 200 MTPD क्षमता का मेज स्टार्च उत्पादन इकाई की स्थापना करने हेतु ₹8862.00 लाख (अठासी करोड़ बासठ लाख रूपये) मात्र के निजी पूँजी निवेश की स्वीकृति दी गयी। इकाई की स्थापना होने पर राज्य में पूँजी निवेश के साथ–साथ कुल 217 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कामगारों का नियोजन हो सकेगा।

(कुन्दन कुमार)
सचिव

(2)

प्रेस–नोट

बिहार में CBG एवं बायो–फ्यूल क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु "बिहार बायो–फ्यूल एवं कंप्रेस्ड बायो–गैस (CBG) उत्पादन प्रोत्साहन नीति, 2026" लागू करने की पहल की गई है। नीति के क्रियान्वयन हेतु उद्योग विभाग को नोडल एजेंसी एवं उद्योग निदेशक को नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है।

नीति का उद्देश्य कृषि अवशेष, पशु अपशिष्ट, नगर ठोस अपशिष्ट, प्रेस–मड आदि के वैज्ञानिक उपयोग से CBG एवं बायो–फ्यूल परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना तथा स्वच्छ ऊर्जा एवं सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है।

इसके तहत Single Window Portal एवं CBG MIS के माध्यम से परियोजनाओं के पंजीकरण, अनुश्रवण, उत्पादन, फीडस्टॉक उपयोग, FOM/LFOM उत्पादन एवं रोजगार की निगरानी का प्रावधान है। साथ ही GOBARdhan एवं SATAT जैसी राष्ट्रीय पहलों के साथ समन्वय पर बल दिया गया है।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(3)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

प्रेस–नोट

उद्योग विभाग, बिहार द्वारा निर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यम फैसिलिटेशन कॉन्सिल नियमावली, 2007 को संशोधित एवं अधिक्रमित करते हुए भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 यथा संशोधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) अधिनियम, 2026 के अनुरूप नयी नियमावली मंत्रिपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा अनुमोदित उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक–100 / DMSME दिनांक–08.10.2026 **"सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद नियमावली, 2026"** निर्गत है। उक्त नियमावली पर मंत्रिपरिषद द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस नियमावली के अधिसूचित होने से भुगतान संबंधी बाधाएं, विवाद समाधान अधिक समयबद्ध और अनुपालन सरल हो सकेगा। इससे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का विकास, प्रगति और प्रतिस्पर्धात्मकता को सुगम बनाया जा सकेगा।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(4)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

प्रेस–नोट

"एक करोड़ उद्यमी परिवार – सशक्त बिहार का आधार" की परिकल्पना पर आधारित मंत्रिपरिषद से अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा अनुमोदित "बिहार एम॰एस॰एम॰ई॰ नीति, 2026" उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक–101/DMSME दिनांक–08.10.2026 द्वारा निर्गत है। उक्त नीति पर मंत्रिपरिषद द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।

यह नीति दस स्तंभों– एक करोड़ उद्यमी परिवार– सशक्त बिहार का आधार; औपचारिकीकरण; कौशल एवं उन्नयन; क्लस्टर आधारित विकास; वित्त तक पहुँच; बाजार तक पहुँच; उभरते क्षेत्र; सहयोगात्मक दृष्टिकोण; तकनीक तक पहुँच एवं पर्यावरणीय स्थिरता– पर आधारित है। नीति के अंतर्गत पाँच वर्षों में एक करोड़ परिवार को उद्यमी बनाना, एक करोड़ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, साख–जमा अनुपात को 75 प्रतिशत तक ले जाने, प्रत्येक जिले में एक क्लस्टर तथा सभी 38 जिलों में एम॰एस॰एम॰ई॰ केन्द्र की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नीति के अंतर्गत बिहार उद्यम पहचान संख्या एवं एकीकृत एम॰एस॰एम॰ई॰ पोर्टल के माध्यम से उद्यमों का औपचारिकीकरण, बिहार एम॰एस॰एम॰ई॰ निधि एवं ग्रोथ फंड के माध्यम से वित्त की सुलभता, बिहार मार्ट एवं एम॰एस॰एम॰ई॰ मंडपम के माध्यम से बाजार की उपलब्धता तथा तकनीक, कौशल एवं पर्यावरणीय स्थिरता हेतु सहायता की व्यवस्था की गई है। इससे राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा, बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता एवं समावेशी औद्योगिक विकास सुनिश्चित होगा।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(5)

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

प्रेस–नोट

नवाचार एवं सामूहिक प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करते हुए संपूर्ण बिहार में एमएसएमई का सतत एवं समावेशी विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित **"मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग कलस्टर विकास योजना (CM-CDP) 2026"** उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक–102/DMSME दिनांक–08.10.2026 द्वारा निर्गत है। उक्त योजना पर मंत्रिपरिषद द्वारा घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई है।

योजना से राज्य के पारंपरिक शिल्पकारों एवं उद्यमों के लिए सामान्य सुविधा केंद्रों (CFCs) की स्थापना, लुप्त होती कला हस्तशिल्प, हस्तकरघा, एमएसएमई–आधारित स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की उत्पादकता, गुणवत्ता एवं क्षमता में वृद्धि, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास, उत्पाद गुणवत्ता एवं मानकीकरण, उन्नत पैकेजिंग, बाजार पहुँच, पूँजी की उपलब्धता एवं निर्यात प्रोत्साहन सहित स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन, शिल्पकारों की आय में वृद्धि तथा राज्य के समावेशी आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हो सकेगा।

सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

6 70/70

बिहार सरकार
उद्योग विभाग।

संचिका संख्या– SIPB2401000069

प्रेस नोट

मेसर्स वेस्टवेल बायोरिफाईनिरीज प्रा० लि०, राजापट्टी, बैकुंठपुर, गोपालगंज को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में 167.5 KLPD के अतिरिक्त 157.5 KLPD का विस्तार अर्थात् (325 KLPD) क्षमता का ग्रेन बेस्ड ईथनॉल उत्पादन इकाई की स्थापना करने हेतु ₹9780.18 लाख (संतानबे करोड़ अस्सी लाख अठारह हजार रूपये) मात्र के निजी पूँजी निवेश की स्वीकृति दी गयी। इकाई की स्थापना होने पर राज्य में पूँजी निवेश के साथ–साथ कुल 210 कामगारों का नियोजन हो सकेगा।

(कुन्दन कुमार)
सचिव

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

प्रेस नोट

राज्य में विद्युत आपूर्ति के मांग में दिनो–दिन वृद्धि हो रही है। इस हेतु विद्युत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।

दरभंगा ग्रिड उपकेन्द्र पर 220 एम0वी0ए0 के दो ट्रांसफॉर्मर पूर्व से ही उपलब्ध हैं लेकिन निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु एक अतिरिक्त 200 एम0वी0ए0 के ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता है। इस अधिष्ठापन से N-1 compliance भी पूर्ण होगी। पटना के खगौल ग्रिड उपकेन्द्र पर 3X200 एम0वी0ए0 के ट्रांसफॉर्मर पूर्व से उपलब्ध है। बढ़ती विद्युत मांग को ध्यान में रखते हुए एक अतिरिक्त 200 एम0वी0ए0 के ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता है।

उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं0 लि0 के क्षेत्राधीन कार्यरत ग्रिड उपकेन्द्र दरभंगा एवं खगौल में 02 अदद् 200 एम0वी0ए0 पावर ट्रांसफॉर्मर स्थापित करने हेतु कुल 33.44 करोड़ (तैंतीस करोड़ चौवालीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित की गयी है।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

(१)

प्रेस नोट

बिहार राज्य में बिजली की खपत में काफी तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2012 में बिजली की अधिकतम मांग 1802 मेगावाट थी जो अब बढ़कर 9475 मेगावाट हो गई है। अधिक खपत को निर्बाध रूप से पूरा करने हेतु बिजली वितरण संरचना को लगातार सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। पूर्ववर्ती योजनाओं के अंतर्गत लगाए गए कम क्षमता वाले LT AB केबल एवं वितरण ट्रांसफॉर्मर बढ़ते विद्युत भार के कारण अधिभारित हो चुके हैं तथा इनके क्षमता विस्तार की भी आवश्यकता है।

उक्त आलोक में राज्य की वितरण कंपनियों के क्षेत्राधीन एल०टी० प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, एल०टी० केबल एवं अधिभारित ट्रांसफॉर्मरों इत्यादि के क्षमता विस्तार हेतु चरणवार तरीके से अधिकतम तीन वर्षों में कुल 11,096.55 करोड़ (ग्यारह हजार छियानवे करोड़ पचपन लाख) रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार की गारंटी पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को 6,066.00 करोड़ (छः हजार छियासठ करोड़) रूपये एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को 5,030.55 करोड़ (पाँच हजार तीस करोड़ पचपन लाख) रूपये को विभिन्न वित्तीय संस्थानों/बैंको से वित्तीय पोषण प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करने, ऋण स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदा आमंत्रित करने की स्वीकृति के प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् द्वारा अनुमोदित की गयी है।

(अजय यादव)
सरकार के सचिव।

(9)

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

प्रेस नोट

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन–बीज घटक (कृषोन्नति योजना) के अन्तर्गत बीज गुणवत्ता नियंत्रण सुदृढ़ीकरण, बीज अवसंरचना का निर्माण एवं आधुनिकीकरण तथा राष्ट्रीय बीज भंडारण कार्य के तहत कुल 1182.588 लाख (ग्यारह करोड़ बयासी लाख अठ्ठावन हजार आठ सौ) रूपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन तथा निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बीज प्रसंस्करण, भंडारण एवं वितरण हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण कर गुणवत्तायुक्त बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही वर्तमान बीज प्रसंस्करण एवं भंडारण इकाइयों का आधुनिकीकरण कर उनकी कार्यक्षमता एवं दक्षता में सुधार करना है तथा प्राकृतिक आपदा एवं आकस्मिक परिस्थितियों में किसानों को समय पर बीज उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्रीय बीज भंडार को सुदृढ़ बनाना है।

(नर्मदेश्वर लाल)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

(10)

बिहार सरकार

खेल विभाग

।। प्रेस नोट।।

बिहार राज्य में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, विभिन्न खेल विधाओं में उभरती प्रतिभाओं की पहचान एवं उनके संवर्द्धन तथा राज्य में खेल संस्कृति को सुदृढ़ एवं व्यापक बनाने के उद्देश्य से "बिहार राज्य खेल–2026" का आयोजन प्रस्तावित है।

"बिहार राज्य खेल–2026" में 24 (चौबीस) खेल विधाओं में राज्य के विभिन्न जिलों से लगभग 5,500 (पाँच हजार पाँच सौ) खिलाड़ी, 750 (सात सौ पचास) तकनीकी पदाधिकारी एवं 750 (सात सौ पचास) स्वयंसेवक के भाग लेने का अनुमान है। उनके आवासन, भोजन, परिवहन, चिकित्सा, सुरक्षा एवं खेल–उपकरण की व्यवस्था के निमित्त "बिहार ओलंपिक संघ" को बिहार वित्त नियमावली यथासंशोधित 2024 के नियम–131 zz के आलोक में नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने एवं उक्त आयोजन पर अनुमानित व्यय की कुल राशि ₹12,00,00,000/–(बारह करोड़ रूपये) मात्र पर स्वीकृति दी जाती है।

(दीपक आनन्द)
सरकार के सचिव,
खेल विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

(11)

प्रेस–नोट

बिहार राज्य में बढ़ती जनसंख्या एवं अपराध के दृष्टिकोण से मोतिहारी, पूर्णियाँ एवं सारण जिला में नगर पुलिस अधीक्षक (स्टाफ ऑफिसर कोटि) के 03 (तीन) पदों सहित उनके कार्यालय के संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल–12 (बारह) पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी है।

15/10/25

(कुन्दन कुमार)
सरकार के अपर सचिव
गृह विभाग,
बिहार, पटना।

(12)

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेस–नोट

भागलपुर जिला में पुलिस उपाधीक्षक, विधि–व्यवस्था, भागलपुर के मूल पद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी–1, विधि–व्यवस्था, भागलपुर के रूप में पुनर्गठित करने एवं बिहार पुलिस मुख्यालय हेतु सृजित पुलिस उपाधीक्षक के 4 पदों में से 01 पद को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी–2, विधि–व्यवस्था, भागलपुर के रूप में प्रत्यावर्तित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी है।

(कुन्दन कुमार)
सरकार के अपर सचिव
गृह विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

13

प्रेस–नोट

आर्थिक अपराध इकाई, बिहार, पटना के विस्तार एवं क्षमतावर्धन हेतु क्षेत्रीय आर्थिक अपराध इकाईयों के निमित्त 143 पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी है।

15/10/26

(कुन्दन कुमार)
सरकार के अपर सचिव
गृह विभाग,
बिहार, पटना।

14

बिहार सरकार
गृह विभाग

प्रेस नोट

विषय :– गृह विभाग के अन्तर्गत विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस प्रयोगशाला, अंगुलांक ब्यूरो एवं फोटो ब्यूरो जैसे वैज्ञानिक जाँच इकाईयों के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कराने तथा उक्त कार्यालयों के कार्यों पर प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रण के लिए निदेशालय की संरचना के गठन के उद्देश्य से निदेशक प्रमुख के पूर्व से सृजित एकल अस्थायी पद को प्रत्यर्पित करते हुए एकल स्थायी पद सृजित करने की आवश्यकता है।

15/10/26
सरकार के अपर सचिव

(15)

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग।

प्रेस विज्ञप्ति

सूचना

राज्य सरकार द्वारा "सात निश्चय–3" के तहत "समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार" अन्तर्गत राज्य में पुरानी बंद पड़ी चीनी मिलों को चरणबद्ध रूप से चालू करने तथा नयी चीनी मिलों की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। नवादा जिलान्तर्गत, वारिसलीगंज में नयी चीनी मिल तथा गन्ना उपोत्पाद (by products) आधारित अन्य इकाइयों यथा–डिस्टीलरी, को–जेन, सी०बी०जी० की स्थापना से इस जिला में गन्ना के रकवा का विस्तार होगा, जिससे किसानों के आय में वृद्धि होगी एवं प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे, जिससे पलायन में कमी आएगी।

(धर्मेन्द्र सिंह)
सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

16

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

सोनपुर आयोजना क्षेत्रान्तर्गत ग्रीनफील्ड सैटेलाईट टाउनशिप, अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, फिल्म सिटी, शैक्षणिक संस्थानों एवं विकास कार्य प्रक्रियाधीन है। साथ ही इस क्षेत्र में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय परियोजनाओं के आगमन की भी प्रबल संभावना को ध्यान में रखते हुए "सोनपुर आयोजना क्षेत्र" के क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गयी।

(विनय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

(17)

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। प्रेस नोट ।।

ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि के क्रय–विक्रय/हस्तांतरण पर अधिरोपित प्रतिबंध को हटाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। फलस्वरूप चयनित सभी ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि के क्रय–विक्रय/हस्तांतरण पर अधिरोपित प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा तथा टाउनशिप के विकास योजना के अधिसूचित होने के पश्चात भवनों का निर्माण एवं भूमि का विकास संबंधित विकास योजना में निर्धारित भूमि उपयोग तथा उसके अंतर्गत लागू **DCR** के अनुरूप किया जा सकेगा।

(विनय कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

(18)

पथ निर्माण विभाग

प्रेस नोट

विश्वामित्र पथ (बक्सर–आरा–मनेर पथ, लंबाई –90कि०मी०), गंगा अम्बिका पथ (बिदुपुर–दिघवारा–उत्तरी गंगा पथ, लंबाई –56 कि०मी०) तथा नारायणी पथ (दरिहारा (कोन्हुआ) –डुमरिया घाट, गोपालगंज, लंबाई –73.51 कि०मी०) पथ हेतु ट्रांजेक्शन एडवाईजर (टी.ए.) के रूप में परामर्शी सेवाओं हेतु कुल राशि ₹3710.00 लाख (रुपये सैतीस करोड़ दस लाख) रूपये मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

गंगा अम्बिका पथ, नारायणी पथ एवं विश्वामित्र पथ को पी.पी.पी. (डी.बी.एफ. ओ.टी. टॉल) पद्धति पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम क्रियान्वित कराया जायेगा।

उक्त प्रस्ताव के स्वीकृति के उपरांत विषयांकित पथों के निर्माण में काफी सहुलियत प्राप्त होगी।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(11)

प्रेस नोट

विश्वामित्र पथ (बक्सर–आरा–मनेर गंगा पथ, लंबाई 90 कि.मी.) के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.), भूमि अधिग्रहण, आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियाँ एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने के निमित कुल 260.00 लाख (रूपये दो करोड़ साठ लाख) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

विश्वामित्र पथ (बक्सर–आरा–मनेर गंगा पथ, लंबाई 90 कि.मी.) के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.), भूमि अधिग्रहण, आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियाँ एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु परामर्शी सेवाएं प्राप्त करने हेतु विभागीय संकल्प सं0 3165(एस) दिनांक 08.05.2026 निर्गत है।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

20

पथ निर्माण विभाग

प्रेस नोट

नारायणी पथ (दरिहारा (कोन्हुआ) –डुमरिया घाट, गोपालगंज, पथ (लंबाई –73.51 कि०मी०) के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर), भूमि अधिग्रहण, आवश्यक वैधानिक स्वीकृतियॉ एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु परामर्शी सेवा हेतु कुल राशि ₹210.00 लाख (रुपये दो करोड़ दस लाख) रूपये मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

नारायणी पथ को पी.पी.पी. (डी.बी.एफ. ओ.टी. टॉल) पद्धति पर बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम क्रियान्वित कराया जायेगा।

विषयांकित प्रस्ताव के स्वीकृति के उपरांत नारायणी पथ के निर्माण में काफी सहुलियत प्राप्त होगी।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

(21)

पटना, बिहार में अंडरग्राउंड रोड कॉरिडोर के विकास के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कार्य हेतु कुल राशि 1821.00 लाख (अठारह करोड़ इक्कीस लाख) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

पटना शहर के विभिन्न इलाकों यथा आर ब्लॉक चौराहा से कंकड़बाग, डाकबंगला चौराहा से पटना वीमेंस कॉलेज तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को भूमिगत मार्गों से जोड़ने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कराया जाना है।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

22

प्रेस नोट

पथ प्रमंडल भागलपुर अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय चौक से भवनपुरा पथ के कि.मी. 0.00 से 8.350 तक का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल 6868.79 लाख (रूपये अड़सठ करोड़ अड़सठ लाख उनासी हजार) रूपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

दीनदयाल उपाध्याय चौक से भवनपुरा पथ की कुल लंबाई 8.35 कि.मी. एवं चौड़ाई 3.75मी. है।

यह पथ गोट खरीक से प्रारंभ होकर खरीक बाजार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक होते हुए भवनपुरा गांव तक जाती है। विषयांकित पथ को पूरी लंबाई में चौड़ीकरण कर 2–लेन (7मी.) किया जाना है।

इस पथ के बन जाने से कोशी नदी के किनारे अवस्थित दो पंचायतों एवं नवगछिया अनुमंडल की संपर्कता एन.एच–31से हो जायेगी। पथ के मार्गरेखन में आवश्यकतानुसार 4 अदद बॉक्स कल्भर्ट, 1 अदद उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल एवं पथ के किनारे नाला निर्माण का प्रावधान किया गया है।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

23

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल–अररिया नई रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु अंचल–पिपरा के विभिन्न मौजा व थाना के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल प्रस्तावित रकवा–3.12725 एकड़ कैसरे हिन्द एवं सड़क, बिहार सरकार की भूमि सशुल्क आधार पर कुल राशि–66,97,883/– (छियासठ लाख सन्तानवे हजार आठ सौ तिरासी रूपये) मात्र के भुगतान पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

24

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

सुपौल जिलान्तर्गत सुपौल–अररिया नई रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु अंचल–त्रिवेणीगंज एवं पिपरा के विभिन्न मौजा व थाना के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल रकवा का योगफल–21.48068 एकड़ बिहार सरकार की भूमि सशुल्क आधार पर कुल राशि–4,22,38,737/– (चार करोड़ बाईस लाख अड़तीस हजार सात सौ सैंतीस रूपये) मात्र के भुगतान पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

बिहार सरकार

विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

संचिका संख्या– वि०प्रा०एवं त०शि०वि० (VII) यो०–33/26

26

प्रेस नोट

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्र–छात्राओं हेतु निजी भवनों में छात्रावास की व्यवस्था किये जाने हेतु प्रति छात्र/प्रति बेड रू० 1000.00 मात्र के आधार पर वर्तमान में नामांकित कुल 49,000 छात्र–छात्राओं के लिए प्रति माह कुल संभावित रू० 4,90,00,000.00 (चार करोड़ नब्बे लाख रूपये) मात्र तथा वार्षिक व्यय कुल रू० 58,80,00,000.00 (अन्ठावन करोड़ अस्सी लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राऐं हेतु आवासन की व्यवस्था हो सकेगी। जिससे अध्ययनरत छात्र–छात्राएं लाभान्वित होंगे।

हस्ताक्षर :–

नाम :– हिमांशु शर्मा

पदनाम :– सचिव

विभाग का नाम :– विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

(27)

प्रेस नोट

आम नागरिकों को राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं एवं इससे संबंधित जानकारी WhatsApp के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम सं०–131 ज्ञ(त) के तहत नामांकन के आधार पर भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) का चयन तथा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल राशि रु० 2,34,00,000.00 (दो करोड़ चौंतीस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया है।

उक्त योजना के क्रियान्वयन से राज्य के आम नागरिकों को निम्न सुविधा प्राप्त होंगी :–

- सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी वास्तविक समय में नागरिकों तक पहुँच सकेंगे।
- राज्य के सभी नागरिकों को विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के साथ–साथ विभिन्न सेवाओं यथा– DBT संबंधित अलर्ट/मौसम संबंधी सूचनाएँ/प्रवेश–पत्र/परीक्षा परिणाम/ई–कल्याण/STET परीक्षा/बोर्ड परीक्षा/स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएँ प्रदान की जा सकेंगी।

(अमय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

28

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
प्रेस नोट

राज्य को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सुशासन, नवाचार और भविष्य–उन्मुख डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना है, इसके लिए विश्वस्तरीय AI अनुसंधान को बढ़ावा देना, उद्योगों में AI के व्यापक उपयोग को गति प्रदान करना, बड़े पैमाने पर AI–आधारित कुशल मानव संसाधन का विकास करना तथा एक सुदृढ़ AI पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जो राज्य में समावेशी आर्थिक विकास, उच्च–मूल्य रोजगार के अवसरों और सतत प्रगति को सुनिश्चित करें।

उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी–2026 प्रतिपादित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त योजना के क्रियान्वयन से राज्य के आम नागरिकों को निम्न सुविधा प्राप्त होंगी :–

i. राज्य को ए.आई (AI) कंपनियों, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCCs), स्टार्टअप्स एवं डिजिटल उद्यमों के लिए एक प्रतिस्पर्धी एवं आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में विकसित करना।

ii. ए.आई (AI) विकसित करने वाली कंपनियों, समाधान प्रदाताओं, सिस्टम इंटीग्रेटर्स तथा डेटा सेवा कंपनियों को राज्य में ए.आई (AI)–आधारित व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश हेतु प्रोत्साहित करना।

iii. इनक्यूबेशन, वित्तीय सहायता, मेंटरिंग, नवाचार चुनौतियों (Innovation Challenges) तथा बाजार तक पहुँच उपलब्ध कराकर ए.आई. (AI) स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करना। साथ ही साथ उत्कृष्टता केंद्रों, उद्योग/शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग तथा बौद्धिक संपदा के सृजन एवं व्यवसायीकरण।

v. शासन एवं प्राथमिकता वाले क्षेत्रों– जैसे कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, विनिर्माण तथा शहरी सेवाओं में AI के उपयोग को बढ़ावा देना, ताकि कार्यकुशलता, पारदर्शिता तथा सेवा प्रदाय में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

vi. AI इनोवेशन हब, डेटा प्लेटफॉर्म, कम्प्यूट एनवायरनमेंट्स, आईटी पार्क तथा प्लग–एंड–प्ले सुविधाओं सहित AI संचालन के लिए आवश्यक सक्षम अवसंरचना का विकास करना।

उक्त पॉलिसी **अन्तर्गत** AI इकाईयों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन यथा–पूँजी निवेश सब्सिडी, ब्याज अनुदान, क्लाउड अवसंरचना (GPU या समकक्ष) उपयोग प्रोत्साहन, लीज रेंटल सब्सिडी, पॉवर टैरिफ सब्सिडी, रोजगार सृजन सब्सिडी (ईएसआई और ईपीएफ सहित), SGST प्रतिपूर्ति, AI मॉडल विकास प्रोत्साहन, AI इकाइयों के लिए निर्यात प्रोत्साहन, अतिरिक्त सहायता एवं टेलर मेड इंसेंटिव पैकेज प्रदान किया जाएगा।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

29

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

रोहतास जिलान्तर्गत अंचल–सासाराम, मौजा–बेलाढ़ी, थाना सं0–107, खाता सं0–245, खेसरा सं0–1215 की कुल प्रस्तावित रकवा–28 डी0 अनावाद सर्वसाधारण की भूमि एस0आई0बी0 के कार्यालय–सह–आवासीय परिसर के निर्माण हेतु सशुल्क आधार पर कुल राशि–63,00,000/– (तिरेसठ लाख रूपये) मात्र के भुगतान पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :–
नाम :– जय सिंह
पदनाम :– सचिव

70/70

30

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेस नोट

डा० उमेश प्रधान, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (संविदा), राजकीय औषधालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना को 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि–30.11.2026 के उपरान्त इन्हें राजकीय औषधालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना में अगले 02 (दो) वर्ष के लिए संविदा विस्तार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(कुमार रवि)
सचिव।

(31)

बिहार सरकार
सिविल विमानन विभाग
पटना हवाई अड्डा, पटना–800014

प्रेस नोट

बिहार सरकार द्वारा राज्य में उड़ान प्रशिक्षण की क्षमता में वृद्धि तथा सहरसा हवाई पट्टी की उपलब्ध अवसंरचना के उत्पादक उपयोग के उद्देश्य से सहरसा हवाई पट्टी पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) एवं संबंधित गतिविधियों की स्थापना हेतु मेसर्स जी.आर.डी. एयर एकेडमी प्रा. लि. को नामांकन के आधार पर 1000 वर्ग मीटर भूमि 30 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर आवंटित किये जाने एवं संबंधित आनुषंगिक निर्णयों पर मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त निर्णय से सहरसा में उड़ान प्रशिक्षण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य की समग्र उड़ान प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि होगी। इससे बिहार के युवाओं को राज्य में ही पायलट, प्रशिक्षक एवं विमानन क्षेत्र से संबंधित अन्य आवश्यक मानव संसाधन के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध होंगे। इससे विमानन क्षेत्र में रोजगार एवं कौशल विकास की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।

प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत प्रशिक्षण संगठन द्वारा भवन, हैंगर, कक्षा–कक्ष, सिम्युलेटर तथा अन्य संबद्ध सुविधाओं का निर्माण एवं संचालन अपने संसाधनों से किया जाएगा। इस प्रकार भूमि आवंटन से राज्य सरकार पर कोई पूँजीगत व्यय भार नहीं आएगा। पट्टा अवधि के दौरान निर्धारित वार्षिक पट्टा शुल्क के माध्यम से राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी।

(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
सचिव

32

बिहार सरकार
सिविल विमानन विभाग

प्रेस नोट

बिहार में उड़ान योजना के तहत हवाई संपर्क को मिलेगी नई गतिः ₹43.50 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति।

भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच उड़ान योजना के अंतर्गत हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के आलोक में राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को व्यवहार्यता अंतर निधि (VGF) उपलब्ध कराने हेतु ₹43,50,00,000/– (तैंतालीस करोड़ पचास लाख रुपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि मई 2026 से सितंबर 2028 तक कुल 29 माह के लिए ₹1.5 करोड़ प्रतिमाह की दर से अनुमानित है।

पूर्णिया हवाई अड्डे का लोकार्पण 25 सितंबर 2025 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। वर्तमान में पूर्णिया से कोलकाता, हैदराबाद और अहमदाबाद के लिए उड़ान योजना के तहत हवाई सेवाएँ संचालित हैं। इन सेवाओं के लिए वीजीएफ की 80 प्रतिशत राशि भारत सरकार तथा 20 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन कर रही है। इससे सीमांचल एवं आसपास के क्षेत्रों को प्रमुख शहरों से बेहतर संपर्क मिल रहा है। अब तक 1.5 लाख से अधिक यात्री उड़ान योजना के तहत शुरू हुई इन सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं।

राज्य सरकार द्वारा वीजीएफ उपलब्ध कराए जाने से निर्धारित हवाई मार्गों पर विमानन कंपनियों को सेवा संचालन के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे नए मार्गों पर उड़ानें शुरू करने और वर्तमान सेवाओं को निरंतर चलाने को प्रोत्साहन मिलेगा। बेहतर हवाई संपर्क से बिहार के विभिन्न शहर प्रमुख आर्थिक, पर्यटन एवं धार्मिक केंद्रों से जुड़ सकेंगे। हवाई सेवाओं के विस्तार से पर्यटन, व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलने की संभावना है।

(डॉ० निलेश रामचंद्र देवरे)
सचिव

33

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस-नोट

"बिहार सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के 01(एक) अतिरिक्त पद का अगले आदेश तक के लिए सृजन की स्वीकृति।"

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

(34)

प्रेस–नोट

"बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 की नियम–6(1) में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में सीधी भर्ती हेतु 75% संबंधी प्रावधान को संशोधित कर 85% करने परन्तु सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध पदों के 10 प्रतिशत के अर्न्तगत चयनित सुयोग्य उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति करने" **एवं** "नियम–6(2)(i) में शेष 25% पदों को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के वरीय सचिवालय सहायकों की प्रोन्नति द्वारा भरे जाने संबंधी प्रावधान को संशोधित कर 15% करने" **तथा** "नियम–7(1) एवं 7(3) में सीधी भर्ती के स्थान पर सीधी भर्ती अथवा उत्कृष्ट खिलाड़ी से नियुक्त सहायक प्रशखा पदाधिकारियों की परिवीक्षा अवधि में प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा से संबंधित प्रावधान करने" **तथा** नियम–9(3) में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में सीधी भर्ती से अथवा उत्कृष्ट खिलाड़ी से नवनियुक्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की परिवीक्षा अवधि 02 (दो) वर्ष के स्थान पर 01 (एक) वर्ष किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।"

(मो. सोहैल)
सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

35

संचिका संख्या– 3 / एम.–37 / 2026

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस नोट

बिहार प्रशासनिक सेवा के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त विभिन्न ग्रेड के पदों के पुनर्गठन के फलस्वरूप आवश्यकता आधारित 120 पदों का सृजन किया जायेगा।

29/10/26.

(रजनीश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

(36)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस–नोट

विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–6391 दिनांक 06.08.2026 के साथ संलग्न महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–67881 दिनांक 25.07.2026 द्वारा मधुबनी न्यायमंडल में NDPS Act. के अंतर्गत दायर वादों के त्वरित विचारण हेतु अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Court) के गठन के निमित्त जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश के 01 (एक) पद के सृजन की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

27/10/26

(रजनीश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

(37)

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेस–नोट

विधि विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1876 दिनांक 27.02.2026 के साथ संलग्न महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–16759 दिनांक 21.02.2026 एवं पत्रांक–44136 दिनांक 12.05.2026 द्वारा पटना न्यायमंडल में एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के वाणिज्यिक वादों के निष्पादन के लिए मुख्यालय में जिला न्यायाधीश स्तर के दो अतिरिक्त न्यायालयों को अनन्य वाणिज्यिक न्यायालय के रूप में गठित करने के निमित्त जिला न्यायाधीश स्तर के एक–एक अर्थात् कुल 02 (दो) पदों के सृजन की स्वीकृति का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

27/10/26.

(रजनीश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

(38)

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग
प्रेस विज्ञप्ति
सूचना

बिहार राज्य चीनी निगम की बंद–इकाई मोतीपुर चीनी मिल की 266 (दो सौ छियासठ) एकड़ भूमि में से 115.08 एकड़ भूमि पर चीनी मिल की स्थापना एवं शेष 151.58 एकड़ भूमि पर अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई है।

उक्त भूमि का उपयोग सात निश्चय–3 के तहत् "समृद्ध उद्योग–सशक्त बिहार" अन्तर्गत लिए गए निर्णय के आलोक में राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने, बंद पड़ी औद्योगिक परिसंपत्तियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने तथा नए निवेश एवं रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से मोतीपुर चीनी मिल, मुजफ्फरपुर की लगभग 151.58 एकड़ भूमि को उद्योग विभाग को औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराया गया है।

मोतीपुर में औद्योगिक उपयोग सुनिश्चित होने से इस क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध हो सकेगी। इससे निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलने के साथ–साथ स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

मोतीपुर क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र होने के कारण यहां कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, कृषि आधारित उद्योग, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स तथा अन्य संबद्ध औद्योगिक गतिविधियों के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। उपलब्ध भूमि का औद्योगिक प्रयोजन में उपयोग इन संभावनाओं को मूर्त रूप देने में सहायक हो सकता है। इस पहल का उद्देश्य केवल भूमि का हस्तांतरण करना नहीं, बल्कि लंबे समय से उपलब्ध औद्योगिक परिसंपत्ति का उत्पादक एवं रोजगारपरक उपयोग सुनिश्चित करते हुए मोतीपुर क्षेत्र को औद्योगिक गतिविधियों के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करना है।

राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास, निवेश को प्रोत्साहन, रोजगार सृजन तथा क्षेत्रीय संतुलित विकास को प्राथमिकता देते हुए इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(धर्मेन्द्र सिंह)
सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

Sarlekh attchment 42

(39)

प्रेस नोट

प्रस्तावित योजना, जिसकी प्राक्कलित राशि 199.42 लाख (एक करोड़ निन्यानबे लाख बयालीस हजार रुपये) है, के तहत् गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों –कोसी, गंडक एवं सोन का National Institute of Hydrology (NIH), Roorkee के साथ MoU के माध्यम से Flood Plain Zone Delineation अध्ययन कार्य कराये जाने का प्रावधान है।

इस योजना के कार्यान्वयन से कोसी, गंडक एवं सोन नदी के बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्धारण किया जा सकेगा, जिससे बदलते पर्यावरणीय एवं सामाजिक आर्थिक परिदृश्यों के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सतत् एवं संतुलित विकास तथा जन–जीवन एवं संपत्ति की क्षति को न्यूनतम किया जा सकेगा।

इस प्रकार यह योजना काफी लाभप्रद एवं जनोपयोगी है।

(चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना

40

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेस नोट

राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अंतर्गत राज्य में अवस्थित सभी निर्दिष्ट बाँधों की सुरक्षा एवं वास्तविक स्थिति का आकलन हेतु आपातकालीन कार्य योजना तथा संचालन एवं रखरखाव मैनुअल सहित विधिक एवं संस्थागत फ्रेमवर्क विकसित किया जाना है, ताकि बाँध विफलता से उत्पन्न आपदाओं को रोका जा सके तथा उनका बेहतर ढंग से सामना किया जा सके।

बिहार की नदियों में अत्यधिक गाद की प्रवृत्ति तथा मानसूनी बाढ़ की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बाँधों की सुरक्षित एवं प्रभावी संचालन व्यवस्था तथा बाँध सुरक्षा प्रबंधन हेतु समय–समय पर अद्यतन तकनीकी आकलन किया जाना आवश्यक है। इस क्रम में जलाशयों का हाइड्रोग्राफिक एवं गाद सर्वेक्षण कर वर्तमान भंडारण क्षमता एवं गाद जमाव का आकलन तथा संशोधित अभिकल्प बाढ़ के आधार पर स्पिलवे की जल निकासी क्षमता एवं बाँध की हाइड्रोलिक सुरक्षा का परीक्षण किया जाना अपेक्षित है।

डैम ब्रेक एनालिसिस (डी0बी0ए0) के माध्यम से संभावित बाँध विफलता की स्थिति में बाढ़ के प्रसार एवं जोखिम क्षेत्रों का आकलन कर इनंडेशन मैप तैयार किए जा सकेंगे। इनके आधार पर संबंधित जिला प्रशासन एवं आपदा प्रबंधन एजेंसियों के समन्वय से प्रत्येक बाँध हेतु आपातकालीन कार्य योजना (ई0ए0पी0) तैयार की जा सकेगी। साथ ही, प्रत्येक बाँध के लिए संचालन एवं रखरखाव पुस्तिका (ओ0 एंड एम0 मैनुअल) तैयार किए जाने से जलाशय एवं गेटों के संचालन, निरीक्षण, अनुरक्षण, अभिलेख संधारण एवं आपातकालीन कार्रवाई हेतु मानकीकृत प्रक्रियाएँ सुनिश्चित होंगी। ये सभी प्रक्रियाएं बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए बिहार में बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन प्रबंधन को मजबूत की जा सकेगी।

इस योजना को आठ माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(चंद्रशेखर सिंह)
सचिव
जल संसाधन विभाग

(५१)

प्रेस नोट

प्रस्तावित योजना, जिसकी प्राक्कलित राशि 3709.00 लाख (रू0 सैंतीस करोड़ नौ लाख मात्र) है, के तहत् बांका ज़िला अंतर्गत बदुआ नदी के किनारे अवस्थित तेलडीहा दुर्गा मंदिर के निकट चेक डैम सहित पाथवे का निर्माण कार्य का प्रावधान है ।

इस योजना के कार्यान्वयन से नदी में अपस्ट्रीम की ओर वर्षभर पर्याप्त जल उपलब्ध रहेगा, जिससे स्थल के समीप निर्माणाधीन सीढ़ी घाट–सह–नदी तट विकास कार्य का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। योजना के पूर्ण होने पर तेलडीहा दुर्गा मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं तथा समीपवर्ती ज़िलों से आने वाले आमजनों के लिए पर्यटन की दृष्टि से बोटिंग सुविधा विकसित किए जाने की संभावना भी सृजित होगी। चेकडैम एवं उस पर प्रस्तावित मार्ग के निर्माण से तेलडीहा दुर्गा मंदिर को बदुआ नदी के कटाव से सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्र को एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकेगा।

इस प्रकार यह योजना काफी लाभप्रद एवं जनोपयोगी है।

(चन्द्रशेखर सिंह)
सचिव,
जल संसाधन विभाग, पटना

(42)

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेस–नोट

प्रक्षेत्रीय व्यवस्था के पुनर्गठन के फलस्वरूप प्रक्षेत्रीय कार्यालय हेतु 04 पदों को स्थानान्तरित किए जाने एवं कार्यालय के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु विभिन्न कोटि के कुल–20 पदों के सृजन की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी है।

26/10/26

(कुन्दन कुमार)
सरकार के अपर सचिव
गृह विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(43)

प्रेस नोट

बिहार राज्य में कार्यरत पशु आहार इकाई पशु आहार के निर्माण हेतु राज्य के बाहर से छोआ आयात कर सकेगी। साथ ही बायोडीजल एवं फॉर्मलडीहाइड के निर्माण हेतु राज्य के बाहर से मेथनॉल आयात किया जा सकेगा।

इससे कैटल फीड क्षेत्र में निवेश एवं पशु आहार के गुणवत्ता मे सुधार होगी एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी। साथ ही मेथनॉल के आयात से पेंट, प्लाई वुड, रेजिन, फ्यूल उद्योग एवं फॉर्मास्यूटिक्ल एवं रासायनिक निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

44

प्रेस नोट

बिहार राज्य के बाहर औद्योगिक उपयोग के लिए आपूर्त्ति किये जाने वाले इथनॉल में भारतीय मानक IS 4117:2008 के अनुरूप कुल 12 (बारह) विकारकों के मिश्रण हेतु स्वीकृति किये जाने का प्रस्ताव है।

ज्ञातव्य हो कि बिहार राज्य में शराबबंदी लागू करने का नीतिगत निर्णय लेते हुए नई उत्पाद नीति, 2015 दिनांक 21.12.2015 से लागू किया गया और इस नीति के तहत 05 अप्रैल 2016 से सम्पूर्ण राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध लागू किया गया। उक्त निर्णय के आलोक में छोआ एवं अनाज आधारित आसवनियों द्वारा अपनी क्षमता का 100 प्रतिशत इथनॉल/ई0एन0ए0 का उत्पादन करती है। उत्पादित इथनॉल में केवल Crotonaldehyde 0.2% V/V के साथ–साथ 0.004% W/V Denatonium Benzoate विकारक मिश्रित कर पेट्रोल, डीजल में Blending हेतु सिर्फ तेल कम्पनियों को आपूर्त्ति की जाती है एवं ई0एन0ए0 का निर्यात राज्य से बाहर किया जाता है।

बिहार राज्य के बाहर औद्योगिक उपयोग के लिए आपूर्त्ति किये जाने वाले इथनॉल में भारतीय मानक IS 4117:2008 के अनुरूप कुल 12 (बारह) विकारकों के मिश्रण के स्वीकृति के पश्चात् राज्य के Ethanol Plant के साथ–साथ बिहार राज्य के किसानो के आय में वृद्धि होगी।

(संजय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव,
बिहार, पटना।